कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश, भोपाल

कमांक 148 /पी.ए./प्र.अ./ भोपाल, दिनांक 3.3.2009

प्रति,

मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर परिक्षेत्र

समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषयः– असफल नलकूपों, मेन होल्स एवं गड्ढ़ों से सुरक्षा के संबंध में ली जाने वाली सावधानियां ।

संदर्भ :– शासन का पत्र कमांक 46/3107/09/2/चौंतीस दिनांक 5.1.09

शासन के पत्र एवं उसके साथ भारत शासन के पत्र दिनांक 17.12.08 की प्रति संलग्न है ।

समय समय पर समाचार पत्रों में एवं अन्य मीडिया में यह समाचार आते रहते हैं कि खुले हुये नलकूपों में अथवा कुओं अथवा अन्य गड्ढ़ों में बच्चे गिर जाते हैं तथा उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है । ऐसा कोई भी प्रकरण होने पर प्रत्येक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तो उत्तरदायी होते ही हैं, उनके विरूद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही भी होती है किन्तु इस प्रकार के असुरक्षित नलकूप, कुओं एवं गड्ढ़ों आदि से जीवन ही समाप्त हो सकता है ।

इस विभाग द्वारा विभागीय माध्यम से अथवा निजी ठेकेदारों के माध्यम से अनेकों ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । उदहारण के लिये नलकूप, कुएं, ट्रायल पिट, पाइप लाइनों की नालियां, विभिन्न ओवर हैड टैंक के कार्य, सिस्टर्न, विभिन्न जल शुद्धीकरण संयंत्रों के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली संरचनाएं, अनेक प्रकार की रिचार्जिंग संरचनाएं, बड़ी पाइपलाइनें जिनमें बच्चे जा सकते हैं, ड्रेनेज पाइप लाइनें एवं ड्रेनेज चेम्बर आदि ऐसे कार्य हैं जो असुरक्षित छोड़ दिये जाने पर गंभीर खतरा बन सकते हैं । अनेकों बार सम्प आदि निर्माण के लिये गहरी खुदाई की जाना आवश्यक होता है एवं इस प्रकार की गहरी खुदाई में पानी भी निकलता है जिसके कारण मिट्टी धंसने की पूर्ण संभावना रहती है इस प्रकार के विभिन्न कार्य अत्यन्त खतरनाक हो सकते हैं न केवल बच्चों के लिये अपितु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये, विभागीय कर्मचारियों के लिये भी इनसे अत्यधिक खतरा हो सकता है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर समयपाल, उपयंत्री से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कोई भी कार्य असुरक्षित स्थिति में नहीं छोड़े जाएं । विभाग के किये जा रहे प्रत्येक कार्य में, भले ही वो किसी भी एजेन्सी के माध्यम से किये जा रहे हों, उनमें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी प्रकार का खतरा संभव न हो । किसी भी परिस्थिति में यदि कोई भी घटना होती है तो सभी संबंधित अधिकारियों एवं

कर्मचारियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा एवं पुलिस कार्यवाही के अतिरिक्त उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी, इसे नोट करें एवं सभी संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस संबंध में निरन्तर निर्देश देते रहें एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरन्तर अनुश्रवण करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता

पृ.क्रमांक/ 149 /पी.ए./प्र.अ./ भोपाल, दिनांक 3.3.2009

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख अभियन्ता